26/5/25

पत्रावली पेश। वकीलवादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकीलवादी
को अंतिम हिदायत की गई थी
कि आगामी पेशी पर तामिल की
रसीदें पेश करे, अन्यथा आदेश
9 नियम 5 के तहत आदेश पारित
किया जायेगा लेकिन वकील वादी
ने आज दिनांक तक तामिल की
रसीदे पेश नहीं की। अतः वादी
का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
...नगढ़ (सीकर)